जानिए हमारा कानून

# कस्टडी में मौतः जांच की प्रक्रिया क्या है?

LiveLaw News Network 28 Jun 2020 7:22 PM

*"कानून द्वारा शासित एक सभ्य समाज में कस्टडी में मौत सबसे बुरे अपराधों में से एक है। जब एक पुलिसकर्मी किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है, तब क्या उसके जीवन के मौलिक अधिकार समाप्त हो*

*जाते हैं? क्या नागरिक के जीवन के अधिकार को उसकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया जा सकता है? वास्तव में, इन सवालों का जवाब ठोस तरीके से "नहीं" होना चाहिए।"*

**-डीके बसु बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 SC 610।**

हिरासत में मौत/ यातना के मामलों में स्वतंत्र जांच, कम से कम प्रारंभिक चरणों में, एक बड़ी समस्या रही है, कारण यह तथ्य है कि पुलिस को खुद अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय पुलिस के आपसी 'भाईचारे' पर टिप्पणी कर चुका है, जो हिरासत में हुई हिंसा के मामलों में परिणामदायी जांच में बाधा बनती है:

*"... पुलिस अत्याचार या हिरासत में मौत के मामलों में, शायद ही कभी पुलिस कर्मियों की संलिप्तता का सीधा दिख सकने योग्य सबूत उपलब्ध होगा। आम तौर पर, केवल पुलिस अधिकारी ही होगा, जो उस परिस्थिति को समझा सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति की अपनी हिरासत में मौत हुई है। भाईचारे के बंधनों से बंधे होने के नाते, यह अज्ञात नहीं है कि पुलिस कर्मी चुप रहना पसंद करते हैं और प्रायः अपने सहयोगियों को बचाने के लिए सच्चाई से हट जाते हैं।"* **(राज्य मंत्री बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी, 1997)।**

कई मामलों में, जांच बाद में सीबीआई, या विशेष जांच टीमों जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को सौंप दी जाती है, ज्यादातर मामलों में ऐसा पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा लड़े गए मुकदमों के कारण होता है। हालांकि बाद में जांच को ऐसी एजेंसियों को देना किसी ठोस परिणाम का आश्वासन नहीं दे सकता है, अगर सबूत जुटाने के शुरुआती महत्वपूर्ण चरणों में जैसे कि पोस्टमार्टम, पूछताछ आदि में हेरफेर की गई है।

इस समस्या का ध्यान रखते हुए, घटना के तुरंत बाद समानांतर मैजिस्ट्रियल जांच की एक प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।

यह दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 176 (1 ए)** के अनुसार है, जिसे 2005 में संशोधन के बाद सीआरपीसी में डाला गया है।

**धारा 176 (1) सीआरपीसी** में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट, जिसे अप्राकृतिक मौत के मामलों में पूछताछ करने का अधिकार है, वह पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही जांच के अलावा मौत के कारणों की जांच कर सकता है। यह एक सामान्य, सशक्तीकरण का प्रावधान है, जो मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की जांच करने का विवेक देता है। एक अन्य तथ्य यह है कि ऐसी पूछताछ या जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।

दूसरी ओर, पुलिस हिरासत में मौत, लापता होने या बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए **धारा 176 (1 ए)** एक विशेष प्रावधान है। प्रावधान में कहा गया है कि ऐसे मामलों में, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है, पुलिस द्वारा की गई पूछताछ या जांच के अलावा एक पूछताछ करेंगे।

अनुभाग को निम्नानुसार समझा जा सकता है:

*-यह पूछताछ हिरासत में मौत/ बलात्कार/ लापता होने की पुलिस जांच के समानांतर है।*

*-यह जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जा सकती है और इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए।*

*-यह जांच अनिवार्य है (धारा 176 (1) में "करेगा" शब्द के उपयोग से प्रकट होता है, जो कि "हो सकता है" शब्द से अलग है।)*

2005 के संशोधन के बाद डाली गई **धारा 176 (5)** में मजिस्ट्रेट को इस तरह की जांच का अधिकार देती है, व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर, शरीर को निकटतम सिविल सर्जन के पास जांच के लिए भेज दिया जाए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने चाहिए।

1994 में, विधि आयोग ने हिरासत में हिंसा के मामलों में दोष सिद्ध होने की बेहद खराब दर पर गौर करते हुए अपनी 152 वीं रिपोर्ट में **- धारा 176 (1A) और 176 (5) -** को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। उन्हें एक दशक बाद 2005 के संशोधन के रूप में डाला गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना चाहिए।

*-मौत के हालात*

*-घटनाओं का तरीका और उनका घटनाओं का क्रमवार ब्योरा, जिनकी वजह से मौत हुई*

*-मौत का कारण*

*-मौत के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति, या पूछताछ के दौरान सामने आनी वाली किसी बेईमानी का संदेह।*

*-मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोक सेवकों की चूक*

*-मृतक को दी गई चिकित्सा की पर्याप्तता।*

एनएचआरसी ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा भी निर्धारित की है।

### धारा 176 (1 ए) का गैर-अनुपालन

प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति के बावजूद, इसका अनुपालन बहुत कम होता है।

जनवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को धारा 176 (1A) के सख्त कार्यान्वयन का निर्देश देने की मांग की गई थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि 2005 से 2017 के बीच पुलिस हिरासत में लोगों की मौत या गुमशुदगी के 827 मामलों में से न्यायिक जांच केवल 166 मामलों में हुई थी यानी कुल मामलों का 20%।

याचिका में कहा गया था कि धारा 176 (1 ए) के लागू होने के बाद से ही इसे इस्तेमाल नहीं किय गया है, यह केवल कानून की किताबों तक सीमित है, और .. इसे जमीन पर लागू नहीं किया गया है।

तमिलनाडु के सथानकुलम के हिरासत में हुई मौतों के जयराज-बेनिक्स मामलों में, मद्रास हाईकोर्ट को कोविलपट्टी न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने के लिए सुओ मोटो हस्तक्षेप करना पड़ा।

### एफआईआर का पंजीकरण

हिरासत में हुई मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने **ललिताकुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2014) 2 एससीसी 1** के मामले में दिए निर्णय में स्पष्ट किया है कि 'एफआईआर का पंजीकरण' संहिता की धारा 154 के तहत अनिवार्य है, यदि सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और इस तरह की परिस्थिति में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है'।

यहां तक कि **धारा 176 (1 ए)** में कस्टोडियल मौत के मामलों में नियमित पुलिस जांच की बात की जाती है, और पुलिस जांच के अलावा मजिस्ट्रियल जांच की भी परिकल्पना की गई है।

जैसा कि सथानकुलम मामले में, पुलिस ने आलेख लिखे जाने तक हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

भारत के विधि आयोग ने हिरासत में हुई मौतों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की इस समस्या से वाकिफ है, और इस संबंध में 152 वें प्रावधान में सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की विफलता के मामले में न्यायिक प्राधिकरण से संपर्क करने का अधिकार दिया जाए। ।

यह **सीआरपीसी में धारा 154A** को शामिल करके प्रस्तावित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

**"धारा 154A, धारा 154** में कुछ भी नहीं होने के बावजूद:

*(1) कोई भी व्यक्ति (लीगल एड सेंटर, या एनजीओ, या कोई दोस्त या रिश्तेदार सहित) किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर से कस्टोडियल अपराधों से संबंधित मामलों में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी को रिकॉर्ड में दर्ज करने से इनकार किए जाने से दुखी होकर, इस तरह की जानकारी देने वाली एक याचिका दायर कर सकता है:*

*(ए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, पीड़ित की मौत के अलावा अन्य हिरासत के मामलों में, या।*

*(बी) सेशन जज के समक्ष, हिरासत में पीड़ित की मौत से जुड़े अपराधों के मामलों में।*

*(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन जज, अगर प्राथमिक जांच के बाद संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया एक केस है, तो खुद शिकायत की जांच कर सकते हैं या किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को, जैसा भी मामला हो, जां का निर्देश दे सकते हैं, और उसके बाद अदालत के मंत्रालयिक अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अपराध के संबंध में सक्षम अदालत को शिकायत कर सके।*

*(3) उप-धारा (2) के तहत की गई शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में निहित किसी भी चीज के बावजूद, सक्षम न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगा और उसी का ट्रायल करेगा।*

*(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन जज किसी भी लोक सेवक या प्राधिकरण की सहायता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे उप-धारा (2) के तहत जांच कराने में उपयुक्त हो सकते हैं।"*

भारत के विधि आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए इस प्रावधान को शामिल करने से पीड़ित व्यक्ति या किसी जन सहयोगी पक्ष के कहने पर न्यायिक हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज करने में देरी की समस्या का समाधान होगा।

## मानवाधिकार आयोग को सूचना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1993 में सामान्य निर्देश जारी किए थे कि हिरासत में मृत्यु होने के 24 घंटों के भीतर, आयोग को इसके बारे में सूचना दे दी जानी चाहिए।

*-घटना के दो महीने के भीतर पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफ और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सहित सभी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।*

*-पोस्टामॉर्टम कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड और फोटोग्राफी निर्देश*

एनएचआरसी ने सभी राज्यों को कस्टोडियल मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करने और आयोग को कैसेट भेजने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इस प्रकार होनी चाहिए: -

*i) पोस्टमार्टम के विस्तृत निष्कर्षों को दर्ज किया जाए, विशेष रूप से चोट और हिंसा के निशान को, जो हिरासत में यातना का सुझाव दे सकते हैं।*

*ii) वीडियो ग्राफिक साक्ष्यों द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज) के निष्कर्षों को पुष्ट किया जाए, ताकि किसी भी अनुचित प्रभाव या सामग्री की जानकारी के छुपाने का पता लगाया जा सके।*

*iii) यदि आवश्यक हो तो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक स्वतंत्र समीक्षा की जाए।*

*आयोग ने राज्यों की राय, क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने और यूएन मॉडल ऑटोप्सी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हिरासत में मृत्यु के मामलों के लिए एक मॉडल ऑटोप्सी फॉर्म तैयार किया है।*

क्या कस्टोडियल टॉर्चर के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी की जरूरत है?

सुप्रीम कोर्ट ने **देविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य थ्रो सीबीआई** के मामले में कहा है कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी का संरक्षण उन अपराधों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिनका आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है।

इस मामले में, **न्यायमूर्ति वी गोपाला गौड़ा और अरुण मिश्रा** की एक पीठ ने कहा है कि फर्जी मुठभेड़ और हिरासत में यातना के मामलों में मुकदमा चालने के लिए अभियोजन के लिए मंजूरी आवश्यक नहीं है।

पीठ ने कहा, *"मंजूरी का संरक्षण एक ईमानदार अधिकारी को अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने और सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की उसकी क्षमता के लिए एक आश्वासन है।"*

शीर्ष अदालत ने कहा है कि *"लोक सेवक को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का अधिकार नहीं है", और यह कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत संरक्षण "संकीर्ण रूप से और प्रतिबंधित तरीके से" होना है।*

अदालत ने कहा कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत सुरक्षा का दावा करने के लिए, यह साबित करना होगा कि कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा था।

भारत के विधि आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि कस्टोडियल टॉर्चर के कई मामलों में आरोपी अधिकारियों द्वारा धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी की आवश्यकता का मामला उठाया गया है, जिसके बाद उक्त धारा में स्पष्टीकरण डालने की सिफारिश की गई थी:

*"संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि मंजूरी का प्रावधान किसी न्यायाधीश या लोक सेवक द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए लागू नहीं होता हैं, जो उसकी हिरासत में किसी किसी व्यक्ति के संबंध में उसके शरीर पर किए गए अपराध हैं, न ही किसी ऐसे अपराध के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकार का दुरुपयोग किया गया है।"*

हालांकि 152 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की गई है।

TAGS CUSTODIAL DEATHS | PROCEDURE FOR INQUIRY | SUPREME COURT | NHRC | TAMIL NADU CUSTODIAL DEATH CASE | JEYARAJ-BENNIX CUSTODIAL DEATHS | NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

SIMILAR POSTS + VIEW MORE

ताज़ा खबरें + MORE

**मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मानत की शर्त के रूप में स्थानीय ज़िला अस्पताल में ग़ैर- चाइनीज़ एलईडी टीवी लगाने का आदेश दिया**

**दिल्ली हाईकोर्ट ने क़ैदियों को फ़र्ज़ी चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के मामले में आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ़ अपराध शाखा को जांच का आदेश दिया**

## न तो लोगों को और न ही आपराधिक न्याय व्यवस्था को ही पुलिस में विश्वास है : दिल्ली बार काउंसिल ने आपराधिक क़ानून में सुधार में उसके प्रतिनिधित्व को शामिल करने की मांग की

## जानिए मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद कैसे पेश किया जाता है

**(अपहरण का मामला) : जांच के दौरान पुलिस पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमीश्नर को मामला देखने को कहा**

ENGLISH + MORE

© All Rights Reserved @LiveLaw

Powered By Hocalwire

Who We Are Careers Advertise With Us Contact Us Privacy Policy Terms And Conditions